UPLL010006582023

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/130/2023

STATE OF U.P. Vs. Azad s/o Anandi

CHARGE

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण आजाद पुत्र अनन्दी व सुरेन्द्र पुत्र भीकम यादव को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 01.09.2022 को समय 10 बजे रात्रि स्थान वह्द ग्राम सौरंई मजरा मजगुंवा थाना जखौरा पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी के भाई को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया। यदि आपके उक्त कृत्य से मृत्यु होती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी के भाई को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी के भाई को मारपीट कर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर कारित कर घोर प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को बुरी–बुरी गालियां देकर साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–14.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–14.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.03.14 17:45:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.</u>

<u>Sessions Case/130/2023</u>

STATE OF U.P. Vs. Azad s/o Anandi

14.03.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरोप हेतु पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को एक राय होकर मारापीटा गया है, जिसमें वादी को गंभीर चोटें आयी हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौज की गयी है। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–14.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।